



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: jdadmncce@gmail.com Ph.: 0141-2702247

क्रमांक : एफ.1()प्रशा./आकाशि/सम्पर्क पोर्टल/2024-16025

दिनांक : सितम्बर, 2024

आदेश

विषय : राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के अन्तर्गत आयुक्तालय स्तर-I, II व III के पदाधिकारियों द्वारा स्वयं की Activated SSO ID (16 अंक) से परिवेदना निस्तारण की त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने बाबत।
सन्दर्भ : CMIS पर दर्ज मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पोर्टल पर त्वरित निस्तारण हेतु दिये गये निर्देशों व SOM (Senior officer meeting) एजेण्डा दिनांक 10.09.2024 के बिन्दु संख्या 14 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित निर्देशों व बैठक एजेण्डा के क्रम में सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त परिवेदनाओं पर सतत् विभागीय क्रियान्वयन हेतु निम्न दिशा-निर्देश तुरन्त प्रभाव से जारी किये जाते हैं :-

1. प्रत्येक महाविद्यालय स्तर-I से प्राचार्य व्यक्तिशः निजी SSO ID (16 अंक) से सतत् परिवेदना निस्तारण समयबद्ध रूप से करें तथा प्राचार्य स्तर पर बदलाव होते ही अविलम्ब मैपिंग अपडेट करवाएं।
2. विभागीय स्तर-II पर सहायक निदेशक अपने क्षेत्रीय कार्यालय से सम्बन्धित समस्त महाविद्यालयों स्तर-I पर प्रदर्शित परिवेदनाओं का निर्धारित समयावधि पूर्व **गहनता से विश्लेषण करें और निस्तारण कार्यवाही सम्पादित करवाने हेतु नियमित मॉनिटरिंग करें**। परिवाद समय सीमा के पश्चात् स्वतः उच्च स्तर पर अग्रेषित होने पर सम्बन्धित अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा जावेगा।
3. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय अपनी SSO ID से ही स्तर-II पर प्राप्त शिकायत के विषय, प्रार्थी के संवाद व पूर्व कार्यवाही प्रक्रिया विवरण का सूक्ष्म परीक्षण करें। निष्पादन पूर्ण करने हेतु यथासंभव सम्बन्धित प्राचार्य व प्रार्थी से सहजतापूर्वक दूरभाष वार्ता कर स्पष्ट ऑनलाईन प्रत्युत्तर इन्द्राज करें।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, स्तर-III भी नियमानुसार एवं त्वरित निस्तारण हेतु समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्तर-II एवं समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, स्तर-I को अपने स्तर से समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश (कार्यवाही प्रक्रिया इत्यादि) जारी किया जाना सुनिश्चित करें।
5. ज्ञातव्य रहे कि प्राचार्य पद रिक्त होने पर कार्यवाहक प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय के सम्पर्क पोर्टल पर मुख्यमंत्री हैल्पलाईन संचालित होगी। अतः कार्यवाहक प्राचार्य आयुक्तालय को अपनी SSO ID री-मैपिंग के लिए भेजें।
6. सेवानिवृत्त होने वाले प्राचार्यों का कार्यभार निर्वहन जिन वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा किया जायेगा, उनका व्यक्तिशः दायित्व है कि अपनी Activated SSO ID से नियमित ऑनलाईन कार्यवाही सम्पन्न करेंगे।
7. निजी संस्थाओं एवं छात्रवृत्ति से सम्बन्धित परिवेदनाओं के निस्तारण हेतु संयुक्त निदेशक (निजी संस्थाएं), कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी पत्रांक एफ.4()आकाशि/नि.सं./355 दिनांक 22-07-2021 एवं वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.23(79)लेखा/ आकाशि/सम्पर्क पोर्टल/छात्रवृत्ति/2021-22/211 दिनांक 09-07-2021 का विभागीय वेबसाईट पर अवलोकन करें।
8. परिवेदना निस्तारण यथासंभव समाधानपूर्वक करें व लम्बित प्रकरणों की संख्या न्यूनतम स्थिति में लाने हेतु आपके स्तर पर आज दिनांक तक लम्बित प्रकरणों को आगामी 03 दिवस में नियमानुसार निस्तारित करें। त्वरित कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।
9. राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण हेतु सभी अधिकारी प्रतिदिन कम से कम एक घण्टे का समय दें।
10. प्रकरण का निस्तारण होने के बाद सम्बन्धित परिवादी को सूचित किया जावे।
11. राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के विभागीय डैश बोर्ड पर अनिवार्यतः एक SSO ID केवल एक बार ही मैप होगी। विभागीय डैश बोर्ड पर किसी भी स्तर की ऑनलाईन उपस्थिति में बदलाव कराने हेतु री-मैपिंग के लिए dce.oap@gmail.com / jdadmncce@gmail.com की अद्यतन कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित करावें।
12. राजस्थान सम्पर्क पर अधिकारियों द्वारा उच्च स्तर पर प्रेषित की जाने वाली परिवेदनाओं में सही विषय का चयन सुनिश्चित करें।
13. श्रम न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय में लम्बित प्रकरण राजस्थान सम्पर्क पोर्टल की परिधि से बाहर रखते हुए 181/राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज नहीं किया जावे।
14. 181/राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज किये गये प्रकरणों को निस्तारित करते समय कई बार सुसंगत/स्वतः स्पष्ट टिप्पणी अंकित नहीं की जा रही है। अतः इस सम्बन्ध में सभी अधिकारी स्पष्ट टिप्पणी अंकित किया जाना सुनिश्चित करें।
15. जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले समस्या समाधान शिविरों में आमंत्रित किये जाने पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

उक्त दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।

Signature valid

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Digitally signed by Om Prakash
Bairwa
Designation : Commissioner
Date: 2024.09.11 09:07:42 IST
Reason: Approved



क्रमांक : एफ.1()प्रशा./आकाशि/सम्पर्क पोर्टल/2024-16025

दिनांक : सितम्बर, 2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशकगण, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त प्राचार्यगण, राजकीय महाविद्यालय/विधि महाविद्यालय/कन्या महाविद्यालय (राजस्थान)/ राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर, राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर।
6. समस्त सहायक निदेशकगण, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
7. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त

Signature valid

Digitally signed by Om Prakash

Bairwa

RajKaj R
1038449 Designation : Commissioner

Date: 2024.09.11 09:07:42 IST

Reason: Approved